

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

नाम ~~विपक्षीय~~ बनाम ~~विपक्षीय~~

मुकदमा नं. 21/22 व. 18 स. 2022

<p>हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--	--

20/12 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पनावली दिनांक 24/12 को पेश हो।  
 उपखंड अधिकारी पदेन  
 उपखंड अधिकारी एवं करेड़ा  
 सहायक कलक्टर, करेड़ा

28/12 पनावली पेश हुई। पक्षीय को उपखंड के विपक्षीय की तामील दिनांक 25/12 को पेश हो।  
 उपखंड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करेड़ा

25/12 पनावली पेश हुई अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्करण से पनावली दिनांक 25/12 को पेश हो।  
 उपखंड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करेड़ा

25/12 पनावली पेश हुई। पक्षीय व पक्षीय के विपक्षीय को विधिपर कर्तव्य मारफत लगाई किन्तु कोर्ट उपस्थित नहीं होकर पक्षीय का अधि-हानि अधि-पक्षी में स्वीकृत किया जा रहा है। पनावली फौजदारी दिनांक 25/12 को पेश हो।

उपखंड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करेड़ा

